8 (घ) - 1

पत्रांक– 3/एम0–01/2024सा0प्र0 11985/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक–31.7.2024

विषयः– बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) का Master Circular तैयार करने के संबंध में।

प्रसंग सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र सं0–586 दिनांक–09.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–586 दिनांक–09.01.2024 द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2005 का Master Circular पूर्व में वेबसाईट पर प्रकाशित है।

2. उक्त Master Circular के प्रकाशित होने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–9938 दिनांक–26.06.2024 द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2005 की कंडिका–8(1) में संशोधन किया गया, जो निम्नवत् है–

"(1) नियुक्ति के बाद 01 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि रहेगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने एवं सम्पुष्टि के लिए अवधारित जाँच में उत्तीर्ण होने पर ही परिवीक्षाधीन वाहन चालक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।"

3. उक्त के आलोक में बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2005 में किये गये संशोधन को समावेशित कर यथा अद्यतन संशोधित Master Circular तैयार किया गया है।

4. सुलभ संदर्भ हेतु उक्त Master Circular की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

BRajender 30.7.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

(76)

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
।। अधिसूचना ।।

दिनांक– 30 नवम्बर, 2005

संख्या–3/आर–1–46/2000–2492–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, वाहन चालक के पदों पर भर्त्ती और प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं–

बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005

अध्याय–1: प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हों–

(क) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

[1](ख) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियम–7 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकार;

(घ) 'कोटि' से अभिप्रेत है नियम–3 के अन्तर्गत निर्धारित कोटि;

[2](ङ) 'मेधा सूची' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची;

---

[1] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–20904 दिनांक–09.11.2023
[2] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–20904 दिनांक–09.11.2023

अध्याय–2 : पद/कोटि

3. **वाहन चालक के पद/कोटि।**– [3](1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा, जो दिनांक–08.11.1996 के प्रभाव से लागू माना जायेगा–

(i) रु0 3050–4590/– वाहन चालक (साधारण कोटि);

(ii) रु0 4000–6000/– वाहन चालक (कोटि–II);

(iii) रु0 4500–7000/– वाहन चालक (कोटि–I);

(iv) रु0 5000–8000/– वाहन चालक (विशेष कोटि)।

[4](2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जायेगी–

(i) साधारण कोटि (रु0 3050–4590/–)	– 30 प्रतिशत
(ii) कोटि–II (रु0 4000–6000/–)	– 30 प्रतिशत
(iii) कोटि–I (रु0 4500–7000/–)	– 35 प्रतिशत
(iv) विशेष कोटि– (रु0 5000–8000/–)	– 05 प्रतिशत

(3) उपर्युक्त रूप में अनुपात निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ वाहन चालकों के पदों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों/संलग्न कार्यालयों को आवश्यकतानुसार समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह के लिए एक नोडल विभाग घोषित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रमण्डल के मुफस्सिल कार्यालय के लिये नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रमण्डल के प्रमण्डलीय आयुक्त रहेंगे।

(4) विभागों/संलग्न कार्यालयों के वाहन चालकों की प्रोन्नति उप–नियम–(3) में अंकित प्रत्येक विभाग के समूह के लिये निर्धारित वरीयतानुसार नोडल विभाग द्वारा ही विचारित होगी। मुफस्सिल वाहन चालकों की प्रोन्नति प्रत्येक प्रमण्डलवार निर्धारित वरीयतानुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा विचारित होगी।

(5) भर्त्ती/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(6) वाहन चालक के पद समूह 'ग' के पद माने जायेंगे।

[3] कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–1466 दिनांक–25.04.2007
[4] कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–1466 दिनांक–25.04.2007

(68)

अध्याय–3 : भर्त्ती

4. **भर्त्ती**।– (1) साधारण कोटि (3050–4590) के पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(2) [5](i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

(ii) वाहन चालन का उन्हें वैध लाइसेन्स प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(iii) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा।

(iv) वाहन की उन्हें सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक होगा।

(v) उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होगा।

[6](3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु अठारह (18) वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा 'समय–समय' पर, अवधारित की जाय।

परन्तु, राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत् नियोजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि (अधिकतम 5 वर्षों) तक की शिथिलता दी जा सकेगी।

[7](4) सीधी भर्त्ती साधारण कोटि के पदों पर होगी। एतदर्थ प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना और रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अपनी अधियाचना सीधे आयोग को 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से भेज देंगे। अधियाचना प्राप्त होने पर, आयोग चयन प्रक्रिया पूरी कर, चयनित वाहन चालकों के संबंध में अपनी अनुशंसा सीधे संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को भेज देगा।

[8](5) अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगा और लिखित परीक्षा तथा संविदा के आधार पर नियोजित होकर वाहन चालन के कार्य अनुभव के आधार पर, रिक्तियों के 2.5 गुणा अभ्यर्थियों को, वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी, जाँच हेतु, आमंत्रित करेगा। लिखित परीक्षा एवं संविदा के आधार पर नियुक्त वाहन चालक के कार्यानुभव के लिए अंकों का अवधारण निम्नवत् होगा–

(क) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के लिए — 75 अंक

---

[5] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9369 दिनांक–09.07.2014
[6] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9369 दिनांक–09.07.2014
[7] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9369 दिनांक–09.07.2014
[8] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9369 दिनांक–09.07.2014

67

(ख) बिहार सरकार के कार्यालयों में संविदा के आधार पर विधिवत् नियोजित वाहन चालक के वाहन चालन के कार्यानुभव के लिए – 25 अंक

(प्रत्येक वर्ष के वाहन चालन अनुभव के लिए 5 (पांच) अंक, अधिकतम 25(पचीस अंक)

टिप्पणी– अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जायेगा। यथा– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे 50x0.75 = 37.5 अंक दिये जायेंगे। अभ्यर्थी जिस कार्यालय में संविदा पर विधिवत् नियोजित होकर कार्यरत रहा हो, उसके कार्यालय प्रधान के माध्यम से अग्रसारित आवेदन के आधार पर ही कार्यानुभव के लिए अंक देय होगा।"

[9](6) उपर्युक्त उप–नियम–(5) के तहत कुल रिक्तियों के 2.5 गुणा चयनित अभ्यर्थियों को नियम–4 के उप–नियम–(2) के अनुसार वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जाँच में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसके लिए कुल प्राप्तांक 100 होगा। यह जाँच आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें मोटर यान निरीक्षक एक सदस्य होंगे। जाँच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।

5. **आरक्षण।**– रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष करने के पश्चात् ही वास्तविक एवं सम्भावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को संबंधित नोडल विभाग/नोडल पदाधिकारी द्वारा भेजी जायेगी।

6. **मेधा सूची की वैधता।**– आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची की वैधता एक वर्ष तक ही रहेगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायेगी जितने के लिये अधियाचना प्राप्त हुई हों। प्रतीक्षा पैनेल नहीं रहेगा। मेधासूची की वैधता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

[9] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9369 दिनांक–09.07.2014

(68)

7. **नियुक्ति प्राधिकार।**– अभियंत्रण/कार्य विभागों के लिये संबंधित अभियन्ता–प्रमुख नियुक्ति प्राधिकार होंगे। उनकी यह शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी। अन्य विभागों में विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के अनुमोदन से उप–सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। मुफस्सिल कार्यालयों के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकार वही पदाधिकारी रहेंगे जो पूर्व से नियुक्ति प्राधिकार घोषित हैं।

8. **परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि।**– [10](1) नियुक्ति के बाद 01 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि रहेगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने एवं सम्पुष्टि के लिए अवधारित जाँच में उत्तीर्ण होने पर ही परिवीक्षाधीन वाहन चालक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

(2) जांच की व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। नियुक्ति के समय के लिये जो अर्हताएँ निर्धारित हैं उन्हीं बिन्दुओं पर सक्षमता की जांच होगी।

अध्याय–4 : प्रोन्नति

9. **प्रोन्नति।**– [11](1) साधारण कोटि (3050–4590) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित रूप में प्रोन्नतियाँ दी जा सकेंगी–

(क) साधारण कोटि (3050–4590) से कोटि–II (4000–6000) में।

(ख) कोटि–II (4000–6000) से कोटि–I (4500–7000) में।

(ग) कोटि–I (4500–7000) से विशेष कोटि (5000–8000) में।

(2) कालावधि।– प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या–280 दिनांक–05.07.2002 द्वारा निर्धारित तथा समय–समय पर यथापुनरीक्षित कालावधि के प्रावधान लागू होंगे।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति।– सचिवालय स्तर पर विभाग समूहवार तथा मुफस्सिल स्तर पर प्रमण्डलवार विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होगी। संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।

(4) सचिवालय स्तर पर विभाग।– समूहवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष विभागीय समूह के नोडल विभाग के विशेष सचिव अथवा वेतनमान रु० 14300–18300 से

---

[10] (i) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या– 9359 दिनांक–09.07.2014
(ii) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या– 9936 दिनांक–26.06.2024

[11] कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–1466 दिनांक–26.04.2007

अन्यून वेतनमान वाला पदाधिकारी होगा। समिति में दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक संबंधित विभागीय समूह के प्रतिनिधि तथा दूसरा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

(5) मुफस्सिल स्तर पर प्रमण्डलवार विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष उस जिला का जिला पदाधिकारी होगा जिस जिला में प्रमण्डलीय कार्यालय अवस्थित है। समिति के दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक प्रमण्डलीय आयुक्त का प्रतिनिधि और दूसरा अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि होगा।

[12](6) विलोपित।

अध्याय–5 : प्रकीर्ण

10. **अनुशासनिक कार्रवाई।**– इस संवर्ग में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के समूह 'ग' (ग्रुप'सी') कर्मियों के लिए तत्समय लागू नियम/अनुदेश प्रभावी होंगे।

11. **विविध।**– (1) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

(2) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सक्षम विभाग होगा।

(3) यदि इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण बिहार राजपत्र में अधिसूचित करते हुए कर सकेगी।

12. **निरसन।**– वाहन चालकों की नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

3/आर–1–46–2000
बिहार–राज्यपाल के आदेश से
रविकान्त,
सरकार के सचिव

---

[12] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2870 दिनांक–01.03.2019

(6A)

Government of Bihar
General Administration Department

:: Notification ::

Patna, Dated 30.11.2005

No.-3/R1-46/200-2492/ In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for determination of basis and procedure of appointment and promotion on the posts of Drivers namely-

BIHAR DRIVERS (Appointment and Service Conditions) Rules, 2005

CHAPTER-1: PRELIMINARY

1. **Short Title, Extent And Commencement.**- (i) These Rules may be called as the Bihar Drivers (Appointment and Service Conditions) Rules, 2005.

   (ii) It extends to the Secretariat Departments, attached offices and muffasil offices at different levels of the State Government.

   (iii) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**- In these Rules, unless the context otherwise requires:-

   (a) "State Government" means the State Government of Bihar

   [1](b) "Commission" means the Bihar Technical Service Commission;

   (c) "Appointing Authority" means the authority authorized under rule-7;

   (d) "Grade" means the grade prescribed under rule 3;

   [2](e) "Merit list" means the list of candidates recommended by the Bihar Technical Service Commission.

CHAPTER-2: POST/GRADE

3. **Post/grade of Drivers.**- [3](1) The nomenclature of posts Drivers in different pay scales shall be as follows which shall be deemed to be in effect from 08.11.1996-

(i) Rs. 3050-4590	: Driver (Basic Grade)
(ii) Rs. 4000 - 6000	: Driver (Grade-II)
(iii) Rs. 4500-7000	: Driver (Grade-I)
(iv) Rs. 5000-8000	: Driver (Special Grade)

[4](2) The number of posts in the different grades shall be in the following ratio-

(i) Basic Grade (3050-4590)	:	30%
(ii) Grade-II (Rs. 4000 - 6000)	:	30%
(iii) Grade-I- (Rs. 4500-7000)	:	35%
(iv) Special Grade (Rs. 5000-8000)	:	05%

(3) In order to fix ratio in the aforesaid manner, keeping in view the less number of posts of Drivers, the Personnel and Administrative Reforms Department shall divide the Departments/Attached offices into as many groups as necessary and a Nodal department shall be announced for each group. Likewise, the Divisional Commissioner concerned shall be the Nodal officer of muffasil offices of each division.

(4) The promotion of Drivers of Departments/Attached offices shall be considered by the Nodal Department on the basis of seniority determined for the group of departments as mentioned in sub-rule (3). The promotion of muffasil driver shall be considered by the Nodal officer on the basis of division wise seniority.

(5) The provision regarding reservation determined by the State Government shall be applicable in recruitment/promotion.

(6) The post of Drivers shall be deemed to be of Group-C.

CHAPTER-3 : RECRUITMENT

4. **Recruitment.-** (1) The post of Basic grade (3050-4590) shall be filled up by direct recruitment on the basis of recommendation of the commission.

[5](2) (i) The minimum educational qualification of candidate shall be Matric pass or equivalent.

(ii) It will be necessary for him to have a legal Driving Licence issued in his name of driving a four wheeler;

(iii) He must have good knowledge of traffic regulation;

(iv) He must have a grneral knowledge of motor-car;

(v) He must be healthy.

[6](3) [The minimum age of the candidates shall be eighteen (18) years and the maximum age shall be such as may be determined by the State Government, from time to time.

(62)

[Provided that, age relaxation up to the period of contractual appointment, {maximum up to five (5) year}, may be given to the candidates duly appointed on contractual basis in any office of the State Government to posts of Driver.]

[7][(4) Direct recruitment shall be made to the posts of Driver (Basic Grade). For this purpose, after calculation of vacancies on the basis of 1st April of every year and roster clearance, the concerned Appointing Authority shall send the requisition of vacancies to the Commission up to 30th April. After receiving the requisitions, the Commission after completing the selection procedure, shall send its recommendations to the Appointment Authority in respect of the selected drivers.]

[8][(5) In the light of requisition the Commission shall invite the application by advertisement against the vacancies and on the basis of written examination and work experience of driver appointed on the contract basis, the Commission shall invite the candidates 2.5 time of vacancies for Test of Driving and General knowledge of Vehicles. Marks for written examination and work experience of drivers appointed on the basis of contract shall be determined as follows-

(a) For percentage of marks obtained in written exam - 75 marks

(b) For Work Experience of Motor driving of drivers legally appointed on the basis contract in any office of the State Government - 25 marks]

{5(Five) marks for work experience of motor driving of each year, maximum 25 (Twenty five) marks.}

Note.- Marks obtained in written test by a candidate shall be determined as the percentage of total marks obtained in that examination, multiplied by 0.75 e.g. A candidate who has obtained total 50 percentage of marks shall be given 50 X 0.75 = 37.5 marks. Marks for Work experience shall be only admissible on the basis of application forwarded by the head of the office where Candidate is working or had worked on contractual basis."

[9][(6) 2.5 time candidates selected under above Sub-rule(5) has to appear in the test of driving and general knowledge of vehicles according to Sub-rule-(2) of Rule-4 for which total marks shall be 100. This test shall be conducted through a committee constituted by the

Commission in which one member shall be motor Vehicle Inspector. The merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in the test and the Commission shall recommend the name of selected candidate from this merit list to the concerned Department/Office. No weightage shall be given for higher education qualification.]

5. **Reservation.-** After estimating the vacancies each year and roaster clearance thereof according to actual and anticipated vacancies, the reservation categoty wise requisition shall be sent to the commission by the concerned nodal department/nodal officer.

6. **Validity of Merit list.-** The validity of the recommended merit list shall be for one year. The Commission shall recommend such members of candidates only as are requisitioned. The waiting panel shall not be prepared. The validity of merit list shall expire with the end of financial year.

7. **Appointing Authority.-** The concerned Engineer-in-Chief shall be the Appointing Authority with respect to Engineering/Works Department. His power shall not be delegated in any circumstance. In other departments, the appointment shall be made by an officer not below the rank of Deputy Secretaty with the approval of Departmental Commissioner and Secretary/ Secretary. In respect of muffasil offices, the appointing authority shall be the same officer who are already declared as Appointing Authority.

8. **Probation Period/Confirmation.-** [10](1) There shall be probation period of one year after appointment. The probation period shall be extended for one more year if the services in probation period will not be found satisfactory. The service shall be terminated, if the services will not be found satisfactory even in extended probation period.

The service of probationer driver shall be confirmed after successful completion of the probation period as well as passing of prescribed test for confirmation."

(2) The test shall be arranged by the appointing authority. The eligibility prescribed for appointment shall from the basis of test of competence.

CHAPTER-4 : PROMOTION

9. **Promotion.-** (1) The promotion may be given from basic grade to higher grades in the following manner-

(a) From Basic Grades (3050-4590) to Grade-II (4000-6000);

(b) From Grade-II (4000-6000) to Grade-I (4500-7000)

[11](c) From Grade-I (4500-7000) to Special Grade (5000-8000)

(2) **Kalawadhi.**- For promotion the provisions of Kalawadhi determined by the State Government (Personnel and Administrative Reforms Departments) Resolution no. 280, dated 05.07.2002 and revised from time to time shall be applicable.

(3) **Departmental Promotion Committee.**- At Secretariat level group of department-wise and at muffasil level divisionwise Depatmental Promotion Committee shall be constituted. The promotion shall be considered on the recommendation of the concerned Departmental Promotion Committee.

(4) At secretariat level, group of departmentwise, a Special Secretary or an officer of not below the scale of Rs.- 14300-18300 of the nodal department of the concerned group of departments shall be the Chairman of the Departmental Promotion concerned group of departments shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee. The Committee shall have two other members on of whom shall be the representative of another department of the concerned group of departments and the other of Scheduled Castes/Tribes nominated by the Personnel and Administrative Reforms Department.

(5) At Muffasil level, the District Magistrate of the District in which the Divisional office is situate, shall be the Chairman of the Division wise Departmental Promotion Committee. The Committee shall have two other members one of whom shall be representative of Divisional commissioner and the other shall be the representative of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

[12](6) Deleted.

CHAPTER-5 : MISCELLANEOUS

10. **Disciplinary Action.**- For the purpose of disciplinary action in this cadre, the Rules/instructions, for the time being in force, for Group 'C' employee of the State Government, shall be applicable.

11. **Miscellaneous.**- (1) With respect to the subjects or points which are not provided in these Rules, the Rules/Instructions, for the time being in force, for the employee of the State Government, shall be applicable.

(2) The Personnel and Administrative Reforms Department shall be the competent department to interpret any rule of these Rules.

(3) If any difficulty arises in applying any rule of these Rules, the State Government by a notification published in Bihar Gazette may remove such difficulty.

12. **Repeal.-** All circulars/instructions issued in respect of appointment/ promotions of drivers shall be deemed to be repealed.

[3/R1-46/2000]
By the order of Governor of Bihar
(RAVI KANT)
Secretary to Government